1667

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// ज्ञापन //

क्रमांक 1063 / दो–15–3/90 रीवा, दिनांक 26/02/2024

प्रति,

श्री अक्षत तायल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला रीवा

विषयः– प्रकरण क्रमांक–आर0सी0टी0 201/2022 म0प्र0 राज्य वि0 शैलेष मिश्रा वगै0 का मूल प्रकरण प्रेषित किये जाने बावत्।

संदर्भः– कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर म0प्र0 द्वारा ज्ञापन क्रमांक–429/दो–12–05/2014 अनूपपुर, दिनांक 20.02.2024

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित ज्ञापन के साथ जिला स्थापना अनूपपुर द्वारा सुश्री शिवानी असाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर का पत्र क्रमांक–66/2024 अनूपपुर दिनांक 10.02.2024 के साथ उनके न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक– आर0सी0टी0 201/2022 म0प्र0 राज्य वि0 शैलेष मिश्रा वगै0 को मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक–56194/2022 आदेश दिनांक 22.01.2024 के अनुक्रम में प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन पश्चात् प्रकरण में पक्षकारों का स्थाई निवास थाना समान क्षेत्रांतर्गत होना दर्शित है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा के कार्यविभाजन आदेश के अनुसार थाना–समान से संबंधित अपराधों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार आपकी न्यायालय को को प्राप्त है।

अतः संदर्भित पत्र की छायाप्रति मय मूल प्रकरण क्रमांक–आर0सी0टी0 201/2022 म0प्र0 राज्य वि0 शैलेष मिश्रा वगै0 का प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं, साथ ही उक्त प्रकरण की प्राप्ति अभि–स्वीकृति वापसी डाक से इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया जाना सुनशिचित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क0 1064 / दो–15–3/90 रीवा, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर।
2. सुश्री शिवानी असाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जू0सि0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)